कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-32/2017-18/

दिनांक :   /09/2017

सेवा में,

परियोजना निदेशक,

जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण,

चम्पावत

विषय : जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण, चम्पावत का वर्ष 03/2014 से 03/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 04 प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 32/2017-18/   दिनांक: /09/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- आयुक्त ग्राम्य विकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।

2- मुख्य विकास अधिकारी चम्पावत, जनपद- चम्पावत, उत्तराखण्ड ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या ....32.................. वर्ष ..2017-2018........

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चम्पावत के माह 03/2014 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सतेन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री सुनील डांग, पर्यवेक्षक, श्री राजवेश भट्ट, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19/05/2017 से 30/0/2017 तक श्री एस के त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रभाकर दुबे, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी , श्री रविशंकर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री अमित कुमार, सहायक महालेखाकर के पर्यवेक्षण मे दिनांक 03/03/2014 से 12/03/2014 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2009 से 02/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ---

1. जनसंख्या :
2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या :
3. पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या :
4. उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या :
5. कर्मचारियों की संख्या :
6. पंचायतराज की संपत्तियाँ:
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट :
8. योजनाओं की संख्या :
9. (अ) सामाजिक संरक्षा :
   (ब) रोजगार सृजन से संबन्धित :
   (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें :
   (द) लाभार्थियों की संख्या :
10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :
11. वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया :

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	2623103	6757847	3812744	5771603	32775546	23896137	664244		15637256	
2015-16	664244	15637256	2094179	1817924	19476615	25947478	940499		9166393	
2016-17	940499	9166393	60487	996760	51621009	35714649.50	4226		25072752.50	

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष			
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तियां **(क)** केन्द्राशं **(ख)** राज्यांश **(ग)** अन्य प्राप्तियां			
व्यय			
अंतिम शेष			

भाग-3

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चम्पावत का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	डी आर डी ए (प्रशास्निक मद)	2623103	3812744	6435847	5771603	664244
2	एनआरएलएम	575000	4145875	4720875	4315121	405754
3	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	0	0	0	0	0
4	इंद्रा आवास योजना	2760721	12942354	15703075	9569185	6133890
5	सांसद निधि	3422126	15687317	19109443	10011831	9097612
	कुल योग	**9380950**	**36588290**	**45969240**	**29667740**	**16301500**

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चम्पावत का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	डी आर डी ए (प्रशास्निक मद)	664244	2094179	2758423	1817924	940499
2	एनआरएलएम	405754	987343	1393097	865923	527174
3	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	0	480000	480000	0	480000
4	इन्दिरा आवास योजना	6133890	165280	6299170	4450670	1848500
5	सांसद निधि	9097612	17843993	26941605	20630885	6310720
	कुल योग	**16301500**	**21570795**	**37872295**	**27765402**	**10106893**

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चम्पावत का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	डी आर डी ए (प्रशास्निक मद)	940499	60487	1000986	996760	4226
2	एनआरएलएम	527174	1548526	2075700	1954250.75	121449.25
3	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	480000	10192	490192	312665	177527
4	इंद्रा आवास योजना	1848500	837742	2686242	810100.75	1876141.25
5	सांसद निधि	6310720	49224549	55535269	32637633	22897636
	कुल योग	**10106893**	**51681496**	**61788389**	**36711409.5**	**25076979.5**

लेखाओं पर टिप्पणीः-

(i) वर्ष के अंत मे बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नही हो पा रहा हैं

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है।

(iii) इकाई द्वारा बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा हैं।

भाग 2(ब)

प्रस्तर -1 रु. 5.77 लाख का व्यय के बाद भी कार्यो का अपूर्ण रहना।

सांसदो को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जन आकांक्षाओ की पूर्ति एवं विकासात्मक कार्यों को कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 1993 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) प्रारम्भ की गयी थी। योजना की दिशा-निर्देश के पैरा 3.13 के अनुसार सांसद निधि के अन्तर्गत कार्य समापन के लिए समय सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चम्पावत के लेखों की जांच के दौरान प्रकाश में आया कि वर्तमान में 16 वीं लोक सभा संचालित हो रही थी जबकि पूर्व सांसदों के बैंक खातों में मार्च 2017 को रु. 14.47 लाख (श्री प्रदी टम्टा जी के खात सं. SBI Saving A/c no. 31115476876 रु. 13.81 लाख व श्री तरुण विजय के खाता सं. PNB A/c no. 4954002100000544 में रु. 0.66 लाख का शेष था। श्री प्रदीप टम्टा जी के खाते से योजनाओं की द्वितीय किस्त रु. 1.92 लाख के भुगतान के अतिरिक्त शेष धनराशि अभिकरण द्वारा अनावश्यक रुप से अवरोधित रखी गयी थी जबकि अवशेष राशि तय समय ही नोड़ल जनपदों (पिथौरागढ़/अल्मोडा) को वापिस की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त 15 वीं लोकसभा की 9 योजनायें व 16 वीं लोकसभा के स्वीकृति वर्, 2015-16 की 25 योजनायें (सांसद निधि प्रगति विवरण मई 2017 के अनुसार) जिनके लिए प्रथम किस्त मार्च 2016 के पूर्व अवमुक्त कर दी गयी थी तथा जिनकी स्वीकृति लागत रु. 36.00 लाख थी, धनराशि अवमुक्त होने के एक वर्ष उपरान्त भी अपूर्ण थी। 15 वीं लोकसभा की लम्बित 9 योजनाओं का विवरण निम्नवत् था।

(धनराशि रु. लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	सांसद का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	प्रथम किस्त की राशि
1.	ग्राम सभा धरसौं अ.जा.तोक में मार्ग निर्माण कार्य, विकास खण्ड-पाटी	प्रदीप टम्टा जी	2011-12	0.80	0.60
2.	ग्राम सभा कोलीटैक के काली मंदिर मेला स्थल सौन्दर्यकरण	,,	2009-10	0.40	0.30
3.	ग्राम मादली में मेला स्थल विकास	,,	2011-12	1.20	0.90
4.	ग्राम सभा रैघांव में जनमिलन केन्द्र का निर्माण	,,	2009-10	1.00	0.75
5.	खाण्डु में मार्ग निर्माण कार्य	,,	2011-12	1.00	0.75
6.	ग्राम पंचायत बन्तोली में मेला स्थल विकास	,,	2013-14	1.00	0.75
7.	ग्राम चौमेल में आन्तरिक सी.सी. मार्ग का निर्माण	,,	2013-14	0.75	0.56
8.	ग्राम बगौटी में सम्पर्क मार्ग का निर्माण	,,	2013-14	0.80	0.60
9.	ग्राम कुन्डा कली में सम्पर्क मार्ग का निर्माण	,,	2013-14	0.75	0.56
	योग			7.70	5.77 लाख

उक्त योजनाओं हेतु विभाग द्वारा रु. 5.77 लाख की राशि प्रथम किस्त के रुप में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की गयी थी। संदर्भित योजनाओं से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा

प्रोषित नोटिस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के बाद आप द्वारा विभाग को न तो कार्य पूर्ण होने की सूचना दी गयी व न ही अन्तिम किस्त की मांग की गयी। अवमुक्त धनराशि का समायोजन भी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विभाग को प्रेषित नहीं किया गया था जिस कारण सम्प्रेक्षा में इस बात का पता लगाना संभव नहीं था कि अवमुक्त धनराशि का उपयोग योजनाओं हेतु किया गया था अथवा नहीं।

उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष धनराशि को वापिस किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। भौगोलिक परिस्थितियों व कार्यदायी संस्थाओं की उदासीनता के कारण अक्सर योजनाये अपूर्ण रह जाती है, योजनायें पूर्ण कराये जाने हेतु नोटिस निर्गत किये गये हैं।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि अवशेष धनराशि को समय समय पर नोडल जनपद को वापिस किया जाना चाहिए था तथा 15 वी लोकसभा से सम्बन्धित योजनाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु मई, 2017 में विभाग द्वारा प्रथम नोटिस निर्गत किया जाना विभाग द्वारा योजनाओं के प्रति विभागीय उदासीनता को इंगित करता हैं।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग 2(ब)

प्रस्तर -2 सांसद निधि अन्तर्गत धनराशि रु. 36.00 लाख का अनियमित व्यय।

सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 3.21.4 के अनुसार, जब किसी सोसायटी/न्यास के सम्बन्ध में किसी संसद सदस्य द्वारा निधियों की अनुशंसा की जाती है तथा जिला प्राधिकारी स्वीकृति से पूर्व जांच हेतु स्पष्टीकरणो/दस्तावेजों के लिए अनुरोध करते है, उक्त सोसायटी/न्यास जिला प्रशासन से पत्र प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध करायेगा। यदि अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिला प्रशासन द्वारा सोसायटी/न्यास के सम्बन्ध में सांसद द्वारा की गयी अनुशंसा को रद्द माना जायेगा तथा सम्बन्धित सांसद को इसकी सूचना भेज दी जायेगी।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चम्पावत के अभिलेखों की जांच में संज्ञान में आया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अभिकरण द्वारा अधोलिखित निजी शैक्षिक संस्थानों की निम्न कार्यों हेतु धनरासि अवमुक्त की गयी थी-

(रु. लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रस्तावित धनराशि	अवमुक्त प्रथम किस्त की राशि	अवमुक्ति का दिनांक
1.	एलीट चिल्ड्रन एकेडमी काकड़ बाराकोट में कक्षा कक्षों का निर्माण	प्रबन्धक, एलीट चिल्ड्रन एकेडमी, काकड	3.00	2.25	दिसम्बर 2016
2.	एलीट चिल्ड्रन एकेडमी, काकड़ बाराकोट में कम्पयूटर लैब कक्ष का निर्माण	,,	3.00	2.25	,,
3.	एलिट चिल्ड्रन एकेडमी, काकड़ बाराकोट में कक्ष का निर्माण	,,	2.00	1.50	,,
4.	एलीट चिल्ड्रन एकेडमी, काकड़ बाराकोट में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण	,,	6.00	3.60	,,
5.	एलिट चिल्ड्रन एकेडमी, काकड़ बाराकोट में हाल निर्माण हेतु	,,	5.00	3.00	,,
6.	एलीट चिल्ड्रन एकेडमी, काकड़ बाराकोट में खेल निर्माण हेतु	,,	5.00	3.00	,,
7.	ग्राम काकड़ से एलीट चिल्ड्रन एकेडमी तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	,,	2.50	1.50	,,

8.	एल्पाइन कान्वैन्ट स्कूल पाटन में अतिरिक्त कक्षो के निर्माण हेतु	प्रधानाचार्य/प्रबन्धक, एल्पाइन पब्लिक स्कूल, पाटन	9.00	5.40	दिसम्बर 2016
9.	पब्लिक स्कूल, पाटन में कक्ष का निर्माण	,,	2.00	1.20	,,
10.	अल्पाइन पब्लिक स्कूल पाटन, लोहाघाट में फिल्ड निर्माण	,,	2.00	1.50	,,
11.	एल्पाईन कान्वैन्ट स्कूल, पाटन की सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु	,,	3.00	1.80	,,
12.	ज्ञानदीप विधालय लोहाघाट में अवशेष कार्य का निर्माण	प्रधानाचार्य/प्रबन्धक ज्ञानदीप विधालय लोहाघाट	3.00	2.25	,,
13.	हीराभट्ट सरस्वती बालिका, विधामंदिर लोहाघाट में कक्षा कक्ष का निर्माण	प्रधानाचार्य, हीराभट्ट सरस्वती बालिका विधामंदिर, लोहाघाट	5.00	3.00	,,
14.	वि.स. पाटी के ग्राम रीठासाहिब में माँ नन्दा देवी पब्लिक स्कूल लथियाघाटी में कक्ष निर्माण	अध्यक्ष, हैल्थ एजुकेशन डैवलपमेन्ट सोसायटी, सीठा साहिब	4.00	3.00	,,
15.	चौमेल में आदर्श ऐडी एकाडमी स्कूल में कक्ष निर्माण	प्रधानाचार्य प्रबन्धक आदर्श ऐड़ी एकेड़मी स्कूल, चौमेल	1.00	0.75	,,
	योग		53.50 लाख	36.00 लाख	

निजी शैक्षिक संस्थाओं को उक्त धनराशि आगणन, विधालय भवन की वर्तमान फोटोग्राफ, निर्माणाधीन स्थल की फोटोग्राफ, विधालय की खाता खतौनी, संस्था नियमावली, रजिस्ट्रेशन, शिक्षा विभाग का मान्यता प्रमाण पत्र व अनुबन्ध पत्र इत्यादि के बिना ही दिसम्बर 2016 में अवमुक्त कर दी गयी थी जबकि उल्लिखित दस्तावेज सम्प्रेक्षा तिथि (मई 2017) तक सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अभिकरण को उपलब्ध नहीं कराये गये थे सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अभिकरण को उपलब्ध नहीं कराये गये थे जिसके कारण अभिकरण के सहायक अभियन्ता को स्वीकृत योजनाओं की विस्तृत जांच हेतु निर्देशित (अप्रैल 2017) किया गया था। जांच आख्या (मई 2017) के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन तैयार नहीं किये गये थे, न ही निर्माण कार्यों की कोई पत्रावली तैयार की गयी थी। सम्बन्धित कार्यों के प्रारम्भ, मध्य व निर्माण की कोई फोटोग्राफ भी संस्थाओं के पास उपलब्ध नही थी जिस कारण कार्यो

की वास्तविक जांच कर पाना संभव नहीं थ, परिणाम स्वरुप मई 2017 में ही पुन सारांशतः आख्या में सहायक अभियन्ता महोदय ने स्पष्ट किया था कि ऐसी स्थिति में अब उक्त कार्यो के निरीक्षण/अनुश्रवण किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः इन योजनाओं की द्वितीय/अन्तिम किस्त की धनराशि की अवमुक्ति हेतु संस्तुति दिया जाना संभव नहीं होगा। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उक्त योजनाओं की प्रगति आख्या व उपभोग प्रमाण पत्र भी अभिकरण को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

इस प्रकार अभिकरण द्वारा नियमो के विपरीत धनराशि अवमुक्त करने व योजनाओं की जांच उचित समय पर न कराये जाने के कारण अभिकरण द्वारा न केवल संदिग्ध व्यय को प्रक्षय दिया अपितु तीन माह के अन्दर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध न कराने के कारण सांसद महोदय की उक्त अनुशंसाओं को रद्द कर अवयुक्त धनराशि की Recovery का प्रयास भी नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि सामान्य निर्वाचन 2017 की अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम किस्त अवमुक्त कर दी गयी थी ताकि धनराशि का उपयोग किया जा सके।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि धनराशि के शीघ्र उपयोग हेतु नियमों की अवहेलना तर्क संगत नहीं हैं।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग 2(ब)

प्रस्तर -**3** श्री देवेन्द्र पाटनी, सहायक लेखाकार के सी.पी.एफ. अंशदान की मय ब्याज राशि रु. 5.37 लाख को कोषागार में जमा न कराया जाना।

ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं. 1037/81/15/53(07)/11 दिनांक 26 मई 2015 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत नियमित कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत राजकीय कार्मिक घोषित किया गया था तथा मौलिक नियुक्ति की तिथि से सेवानिवृत्ति लाभ यथा पेंशन ग्रेच्युटी इत्यादि अनुमन्य की गयी थी। कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु 7 एवं 8 में ऐसे कार्मिकों के जी.पी.एफ. खाते खोलने व सी.पी.एफ. अंशदान को मय ब्याज उनके जी.पी.एफ. में जमा कराये जाने के आदेश आहरण वितरण अधिकारियों को दिये गये थे। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों के सी.पी.एफ. में जमा नियोक्ता अंशदान को मय ब्याज पेंशन अंशदान के रुप में राजकोष में जमा किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

अभिकरण के अभिलेखों की जांच में संज्ञान में आया कि अभिकरण द्वारा रु. 5.00 लाख की राशि पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक में सावधि जमा के रुप में रखी गयी थी। अगस्त 2010 में सावधि जमा में रु. 5.37 लाख की राशि देय थी। सावधि जमा में रखी राशि श्री देवेन्द्र पाटनी सहायक लेखाकार (वर्तमान में परियोजना प्रबन्धन इकाई, पिथौरागढ़ में प्रतिनियुक्ति पर) के जी.पी.एफ. अंशदान से सम्बन्धित थी जिसे उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप के अनुसार अभिकरण द्वारा कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए था।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर अभिकरण द्वारा भविष्य में कार्यवाही की बात कही गयी.

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि अभिकरण द्वारा कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु-8 में निर्दिष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग 2(ब)

प्रस्तर -**4**- आवासदीन लाभार्थियो द्वारा आवास निर्माण कार्य पूर्ण न कराया जाना कुल रु. 3.85 लाख की वसूली अपेक्षित ।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, आवास बनाने हेतु चुने गए लाभार्थियों को रुय 45000/- प्रथम किस्त के रुप में एवं आवास निर्माण कार्य पूर्ण होने पर रु. 30000/- द्वितीय किस्त के रुप में देने का प्रावधान हैं।

लेखा-अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा 46 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रुप में रु. 45000/- प्रति लाभार्थी 18.12.2015 से 04.04.2016 के मध्य दी गई थी। (सुची संलग्न) परन्तु उक्त समस्त लाभार्थियो में से 9 लाभार्थियो द्वारा रु. 45000/- प्रति (कुल रु. 4.05 लाख) का लाभ लेने के उपरान्त, एवं एक वर्ष से अधिका का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कमी शीघ्र पूर्ण करा लिये जाऐंगे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 1.6 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी न तो निर्माण कार्य ही पूर्ण कराऐ गऐ एवं न ही विभाग द्वारा उक्त रु. 3.85 लाख की Recovery हेतु कोई ठोस कार्यवाही नही की गई। अतः प्रस्तुत उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

(ii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'ब' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः
(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चम्पावत को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2015 एव 12/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। ---(जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 20(1) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
104/2005-06	01	1, 2, 3, 4, 5
39/2009-10	1, 2	1, 2
193/2013-14	शून्य	1, 2, 3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

कोई नहीं

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री हरगोविंद भट्ट	निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

लघू एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण चम्पावत उत्तराखण्ड, को इस आशय से प्रेषित कि वे इसकी अनुपालन/टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर व. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून को सीधे प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

स्थानीय निकाय